कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 432/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.11.2026

थाना– तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी मदरसा संचालित कर सरकारी अनुदान के गबन का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

◆ ***फर्जी मदरसा संचालित कर सरकारी धनराशि/अनुदान प्राप्त करने के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।***

◆ ***थाना तहबरपुर पुलिस ने अभियुक्त अंसार अहमद को उसके घर ग्राम नेवादा से किया गिरफ्तार।***

घटना का विवरण-

दिनांक 10.02.2025 को प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अस्तित्वहीन मदरसा इस्लामिया अंसारूल उलूम, नेवादा बीबीपुर, जनपद आजमगढ़ के नाम पर आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें असली के रूप में प्रयोग करते हुए फर्जी तरीके से शासकीय धनराशि/अनुदान का गबन करने के प्रयास के संबंध में मु0अ0सं0 45/25 धारा 409, 420, 467, 468, 471 भादवि पंजीकृत किया गया था। मुकदमे की विवेचना थाना तहबरपुर स्थानांतरित होने के उपरांत उ0नि0 दशरथ उपाध्याय द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 17.11.2026 को उ0नि0 दशरथ उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त अपने घर ग्राम नेवादा में मौजूद है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त अंसार अहमद पुत्र स्व0 अजीज अहमद निवासी ग्राम नेवादा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ को उसके घर के दरवाजे से समय करीब 10:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अंसार अहमद पुत्र स्व0 अजीज अहमद निवासी ग्राम नेवादा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 58 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 45/25 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

निल।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दशरथ उपाध्याय, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. का0 किशन मिश्रा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. का0 बृजेश कुमार, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना– कोतवाली, जनपद आजमगढ़

चाकू से जानलेवा हमला करने वाले पिता-पुत्र सहित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद

◆ निर्माणाधीन मकान को लेकर हुए विवाद में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

◆ थाना कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त अंसार अहमद व उसके पुत्र हामिद को ग्राम ककरहटा से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद किया।

घटना का विवरण-

दिनांक 16.11.2026 को वादी मुकदमा अफजाल पुत्र एखलाक अहमद निवासी ग्राम ककरहटा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि उनके भाई अंसार अहमद व भतीजे हामिद उनके निर्माणाधीन मकान को लेकर उनके पुत्र एहतेशाम से रंजिश रखते थे। इसी विवाद को लेकर दिनांक 16.11.2026 को समय करीब 09:30 बजे अंसार अहमद व हामिद द्वारा एहतेशाम के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की गई तथा हामिद द्वारा जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे एहतेशाम गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 585/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 16.11.2026 को उ0नि0 मिथिलेश प्रजापति चौकी प्रभारी बलरामपुर मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. अंसार अहमद पुत्र एखलाक अहमद उम्र करीब 60 वर्ष 2. हामिद पुत्र अंसार अहमद उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम ककरहटा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर ग्राम ककरहटा से समय करीब 15:45 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त हामिद ने बताया कि उसके चाचा अफजाल व उनके पुत्र एहतेशाम से निर्माणाधीन मकान को लेकर विवाद एवं रंजिश चल रही थी। दिनांक 16.11.2026 को एहतेशाम से विवाद होने पर मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान उसके पिता अंसार अहमद भी मौके पर आ गए तथा उन्होंने उसे एहतेशाम को मारने के लिए ललकारा, जिस पर उसने चाकू से एहतेशाम पर वार कर दिया। वहीं अभियुक्त अंसार अहमद ने भी अपने पुत्र को ललकारने की बात स्वीकार की।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अंसार अहमद पुत्र एखलाक अहमद निवासी ग्राम ककरहटा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 60 वर्ष।
2. हामिद पुत्र अंसार अहमद निवासी ग्राम ककरहटा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद चाकू (घटना में प्रयुक्त)।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 585/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मिथिलेश प्रजापति, चौकी प्रभारी बलरामपुर।
2. का0 भूपेन्द्र, थाना कोतवाली।
3. का0 सुमित कुमार, का0 जितेन्द्र का0 राहुल पाण्डेय थाना कोतवाली।